रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1982/चैत्र 30, 1904

No. 144] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1982/CHAITRA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1982

का॰आ॰ 271 (अ)—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का॰आ॰ 708 (अ) तारीख 19 सितम्बर, 1981 द्वारा उड़ीसा स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, कटक, उड़ीसा को उड़ीसा टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड चौद्वार, जिला कटक, उड़ीसा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था।

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू होता रहेगा जिस रीति से वह धारा 18कक के अधीन आदेश के जारी किए जाने के पूर्व उसको लागू होता था।

अनुसूची

कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिनके अधीन रहते हुए स्तंभ (1) में उल्लिखित उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे
1	2
धारा 166	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। फिर भी, उपक्रम अपनी कानूनी, विवरणियां और तुलनपत्र कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। इस छूट से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 159(1) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
धारा 169	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 210(1)	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे। फिर भी वह अपनी कानूनी विवरणियां और तुलनपत्र कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। इस छूट से कंपनी अधिनियम 1956 की

1	2
	धारा 159(1) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
धारा 217	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 224	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
धारा 225	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि संपरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।
धारा 239(1)(घ)	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।
धारा 294	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगे।

छूट की अवधि, सभी मामलों में उस तारीख को समाप्त हो जाएगी जब कंपनी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951, (1951 का 61) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के प्रबंध में नहीं रह जाती है।

[फा० सं० 3(3)/81-सी०यू०एस०]
सी० के० मोदी, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th April, 1982

S.O. 271 (E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 708(E), dated the 19th September, 1981 issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised the Orissa State Textile Corporation Limited, Cuttack, Orissa to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs Orissa Textile Mills Limited, Chowdwar, District, Cuttack, Orissa (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the Order under Section 18AA.

SCHEDULE

Provision of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking
1	2
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall, however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956
Section 169	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 210(1)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking. It shall however, file its statutory returns and balance sheets with the Registrar of Companies. The exemption will not affect the provisions of section 159(1) of the Companies Act, 1956.
Section 217	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 224.	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 225	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that the auditor shall be appointed by the Central Government.
Section 239(1) (d)	Provision of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 294	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.

The period of exemption in all cases will terminate when the Company ceases to be managed by the Central Government under the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951.)

[F. No. 3(3)/81-CUS.]
C. K. MODI, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982